No.CDN-27011/2/2018-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated: 12.12.2018

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of November, 2018 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

Encl. As above.

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
1 Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
2. Secretary to the Vice- President of India, Vice President Secretariat, New Delhi.
3 The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
4. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research, C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
9. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, Nirman Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate Affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of November, 2018"

(Nilratan Das)
Under Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF NOVEMBER, 2018

(1) Notifications:-

(i) Vide Notification No. G.S.R. 1108(E) dated 13.11.2018 the companies (Registered valuers and Valuation) Fourth Amendment Rules, 2018 were notified by which amendment has been made to Rule 1,3,4,10,11 and 12 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) rules, 2017. The eligibility Qualification and Experience for Registration as Valuer has been prescribed vide the said notification.

(ii) The National Financial Reporting Authority Rules, 2018 has been brought into force vide notification no. G.S.R. 1111(E) dated 13.11.2018. Vide this notification, classes of companies and bodies corporate governed by the Authority, Functions and duties of the Authority, Annual Return, recommending accounting standards and auditing standards, Monitoring and enforcing compliance with accounting standards, Monitoring and enforcing compliance with auditing standards, Overseeing the quality of service and suggesting measures for improvement, Power to investigate etc. has been prescribed.

(2) Competition Matters: -

(i) Shri Ashok Kumar Gupta, IAS (Retd.) (TN:1981) has joined as Chairperson in the Competition Commission of India (CCI) w.e.f. 12th November, 2018 (forenoon), until 25.10.2022 (i.e. the date on which he attains the age of sixty-five years), or until further orders, whichever is the earliest.

(ii) Important Activities:

(a) Competition Commission of India ("CCI") has amended the Combination Regulations. The post amendment Regulations among others includes permitting withdrawal of notice and refiling the same by parties, allowing submission of voluntary modifications in response to notice, appointing agencies to supervise implementation of modification etc.

(b) As part of Competition Advocacy Initiative at national and state level, CCI organized Roadshows in Mumbai and Delhi including a National conference on "Public Procurement and Competition Law". Similar Roadshows are also planned to be held in the coming months.

(c.) The Commission undertook a series of initiatives focused on the Pharmaceutical and Healthcare sector in collaboration with IIM, Ahmedabad and carried out Competition Assessment of Drug Price Control Order, 2013. It also conducted an internal review of the

regulatory architecture governing the Pharmaceutical sector in India; and conducted a Technical Workshop on "Competition Issues in the Healthcare and Pharmaceutical Sector". Based on the inputs received during the Workshop deliberations, CCI developed a Policy Note on *'Making Markets Work for Affordable Healthcare'* which has been shared with concerned Ministries/Departments/Institutions i.e. Niti Aayog, Department of Pharmaceutical and Ministry of Health as part of advocacy efforts.

(iii) Important Judgments:

(a) CCI vide its order dated 08.11.2018 exonerated Retail and Dispensing Chemists Association, located in Mumbai dismissing allegations of limiting and controlling free supply of products by charging Product information service ("PIS") from the manufacturers of pharmaceutical products. This was the second recent order in which the Commission disagreed with the findings of the Director General to the contrary and closed the case.

(b) CCI vide its order dated 08.11.2018 exonerated GAIL (India) Ltd from allegations of imposing seven unfair and one sided conditions in the Gas Supply Agreements signed with seven companies by abusing its dominant position as the sole supplier of Re-gasified Liquefied Natural Gas (RLNG). This was the recent order in which the Commission has disagreed with the findings of the Director General to the contrary and closed the case.

(c.) CCI vide order dated 9.11.2018 has ordered an investigation against global chip maker Intel Corporation for allegedly abusing its dominant position in Indian market by restricting the production of servers. The direction comes following a complaint by Bangalore-based Velankani Electronics, engaged in the business of design and manufacture of electronic products in India.

(d) The Supreme Court of India ("Court") vide its landmark judgment dated 1.10.2018 has allowed the appeals by the 44 LPG Cylinder manufacturers and dismissed the finding of bid rigging in supply of 14.2 kg domestic LPG cylinders to the Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) , quashing the Order of the erstwhile Competition Appellate Tribunal (COMPAT) which had earlier upheld the finding of the Competition Commission of India (CCI) , which had also imposed penalties on each party @ 10% of their average relevant turnover. The Apex Court has held that , considering the prevailing market conditions in which bids were offered by the appellants, there was no sufficient evidence to establish an "agreement" amongst the suppliers of LPG cylinders ("appellants") for bid rigging/collusive bidding in the tender floated by IOCL thereby setting aside the orders passed by COMPAT dated 20.12.2013 which had upheld the findings of CCI vide order dated 24.2 2012 in Suo Moto Case No. 03/2011 .

3. **<u>Matters related to National Financial Reporting Authority (NFRA): -</u>**

(i) National Financial Reporting authority has been established on 01.10.2018. Shri Rangachari Sridharan has been appointed as Chairperson and Dr. Prasenjit Mukherjee as full time Member in the National Financial Reporting Authority (NFRA) for a period of three years or till the incumbent attains the age of 65 years, whichever is earlier. Shri Rangachari Sridharan has joined as Chairperson, NFRA on 01.10.2018 (Afternoon) and Dr. Prasenjit Mukherjee has joined as full time Member on 03.10.2018 (forenoon).

(ii) Under sub-section (2) and (4) of Section 132 of the Companies Act, 2013, the Ministry vide Notification GSR No. 1111(E) dated 13th November, 2018 notified the National Financial Reporting Authority Rules, 2018.

सं. सीडीएन-27011/2/2018-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, ए विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 12.12.2018

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नवम्बर, 2018 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
2. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
3. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
4. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
9. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
10. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
12. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
13. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
14. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का नवम्बर, 2018 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नवम्बर, 2018 माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां

1. अधिसूचनाएं

(i) दिनांक 13.11.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 1108(अ) द्वारा कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) चतुर्थ संशोधन नियमावली, 2018 को अधिसूचित किया गया था जिसके द्वारा कंपनी (मूल्यांकक एवं मूल्यांकन) नियमवत्ती, 2017 के नियम 1,3,4,10,11 और 12 संशोधित किए गए हैं। मूल्यांकक के रुप में पंजीकृत होने के लिए पात्रता अर्हता और अनुभव उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया गया है।

(ii) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियमावली, 2018 दिनांक 13.11.2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि संख्या 1111(अ) के जरिए लागू किए गए हैं। इस अधिसूचना के जरिए इस प्राधिकरण द्वारा प्रशासित कंपनियों और कारपोरेट निकायों के वर्गों, प्राधिकरण के कार्यों और कर्तव्यों, वार्षिक विवरणी, लेखांकन मानकों तथा लेखा परीक्षा मानकों की सिफारिश करना, लेखांकन मानकों के साथ निगरानी और प्रवर्तन का अनुपालन, लेखा परीक्षा मानकों के साथ निगरानी और प्रवर्तन अनुपालन, सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण और सुधार के लिए उपाय सुझाना, जाँच करने के लिए शक्ति आदि निर्धारित किए गए हैं।

2. प्रतिस्पर्धा मामले

(i) श्री अशोक कुमार गुप्ता, आईएएस (सेवानिवृत) (टीएन : 1981) ने भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में दिनांक 12 नवम्बर, 2018 (पूर्वाह्न) से अध्यक्ष के रुप में 25.10.2022 तक (अर्थात उस तिथि तक जिसको वे 65 वर्ष की आयु को पूरी करते हैं।) अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कार्यभार ग्रहण किया हैं।

(ii) <u>महत्वपूर्ण क्रियाकलाप-</u>
(क) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ("सीसीआई") ने संयुक्त विनियमनों को संशोधित किया है। संशोधन के पश्चात विनियमनों में अन्य मामलों के बीच नोटिस को वापिस लेने की अनुमति एवं और उसको पक्षकारों द्वारा पुनःफाइल करना, नोटिस की प्रतिक्रिया में स्वेच्छिक संशोधनों की प्रस्तुति को अनुमति देना, संशोधन आदि के कार्यान्वयन पर्यवेक्षण के लिए एजेसियां नियुक्त करना शामिल हैं।

(ख) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा पैरवी पहल के रुप में, सीसीआई ने "सार्वजनिक प्रापण और प्रतिस्पर्धा विधि" पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन सहित मुबंई और दिल्ली में रोडशो

आयोजित किए थे। इसी प्रकार के रोडशो आगामी महिनों में आयोजित किए जाने की भी योजना हैं।

(ग) आयोग ने आईआईएम, अहमदाबाद के सहयोग से औषधीय एवं स्वास्थय सेवा क्षेत्र पर केन्द्रित पहलों की एक श्रृंखला आयोजित की और दवा मूल्य नियंत्रण आदेश, 2013 का प्रतिस्पर्धा मूल्याकन निष्पादित किया। इसने भारत में औषधीय क्षेत्र नियामक संरचना प्रशासन की आंतरिक समीक्षा भी की हैं और "स्वास्थ सेवा क्षेत्र और औषधीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धा मुद्दों" पर एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त सूचनाओं के आधार पर, सीसीआई ने 'मेकिंग मार्केट्स वर्क फोर अफोर्डेबल हेल्थकेयर' पर एक नीति टिप्पणी तैयार की हैं जिसे संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संस्थाओं अर्थात नीति आयोग, औषध विभाग तथा स्वस्थ मंत्रालय के साथ पैरवी प्रयासों के भाग के रुप में साझा किया गया हैं।

(iii) महत्वपूर्ण निर्णय

(क) सीसीआई ने दिनांक 8.11.2018 के अपने आदेश के जरिए औषधीय उत्पादों के विनिर्माताओं से उत्पाद सूचना सेवा ("पीआईएस") प्रभारित करके उत्पादों की निःशुल्क आपूर्ति को सीमित और नियंत्रित करने के आरोपों को खारिज करते हुए मुबंई स्थित रिटेल एंड डिसपेसिंग केमिस्ट एसोशिएसन को बहाल किया था। यह हाल ही का दूसरा आदेश था जिसमें आयोग महानिदेशक की निष्पत्तियों से इसके विपरित असहमत था और इस मामले को बंद कर दिया था।

(ख) सीसीआई ने दिनांक 8.11.2018 के अपने आदेश द्वारा गेल (इंडिया) लिमिटेड को सात अनुचित लगाए गए आरोपों से बहाल कर दिया था और रिगैसिफाइड लिक्यूफाइड नैच्युरल गैस (आरएसएनजी) की एक मात्र आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी प्रधान स्थिति का दुरुपयोग करते हुए सात कंपनियों के साथ संपन्न किए गैस आपूर्ति करारों में एक तरफा शर्तें थीं। यह हाल ही का आदेश था जिसमें आयोग महानिदेशक की निष्पत्तियों से इसके विपरित असहमत था और इस मामले को बंद कर दिया था।

(ग) सीसीआई ने दिनांक 9.11.18 के अपने आदेश के द्वारा भारती बाजार में सर्वरों के उत्पादन को सीमित करते हुए अपनी प्रधान स्थिति के तथाकथित रूप से दुरुपयोग करने के लिए ग्लोबल चिप मेकर इंटेल कारपोरेशन के विरुद्ध जांच का आदेश दिया है। यह निदेश भारत में इलेक्ट्रोनिक उत्पादों के डिज़ाइन और विनिर्माण के व्यवसाय में लगे हुए बंगलोर स्थित वेलांकनी इलेक्ट्रोनिक्स द्वारा एक शिकायत के पश्चात् दिया गया है।

(घ) भारत के उच्चतम न्यायालय ("न्यायालय") ने दिनांक 1.10.2018 के अपने महत्वपूर्ण निर्णय के जरिए 44 एलपीजी सिलिंडर विनिर्माताओं द्वारा दाखिल अपीलों को अनुमति दी हैं तथा भारतीय तेल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) के लिए 14.2 किग्रा. घरेलू एलपीजी सिलिंडरों

की आपूर्ति में निविदा हेरा-फेरी की निष्सपत्ति को रद्द किया, तत्कालीन प्रतिस्पर्धा अपीलिय (सीओएमपीएटी) के आदेश को रद्द करते हुए जिसने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की पूर्ववर्ती निष्पत्ति का समर्थन किया था जिसमें प्रत्येक पक्षकार पर 10% की दर से उनके औसत संगत कारोबार पर शास्तियां भी लगाई थी। उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि प्रचलित बाजार दशाओं जिनमें अपीलकर्ताओं द्वारा निविदाएं प्रस्तुत की गई थी, पर विचार करते हुए, आईओसीएल द्वारा दी गई निविदा में निविदा धोखाधड़ी/निविदा मिलीभगत के संबंध में एलपीजी सिलिंडरों के आपूर्तिकर्ताओं के बीच "करार" स्थापित करने के लिए कोई पर्याप्त सबूत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 20.12.2013 के सीओएमपीएटी जिसमें अपनी ओर से मुकदमा संख्या 03/2011 में दिनांक 24.2.2012 के आदेश के जरिए सीसीआई की निष्पत्तियों को बरकरार रखा था, द्वारा दिये गए आदेशों को निरस्त कर दिया था।

3. राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरण (एनएफआरए) से संबंधित मामले:-

(i) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरण की स्थापना दिनांक 1.10.2018 की गई हैं। इस राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टींग प्राधिकरण (एनएफआरए) में श्री रंगाचारी श्रीधरन को अध्यक्ष तथा डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी को पूर्णकालिक सदस्य के रुप में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा पदधारी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो पहले हो, नियुक्त किया गया हैं। श्री रंगाचारी श्रीधरन ने दिनांक 1.10.2018 (अपराह्न) को अध्यक्ष, एनएफआरए में कार्यभार ग्रहण कर लिया है तथा डॉक्टर प्रसेनजीत मुखर्जी ने पूर्णकालिक सदस्य के रुप में दिनांक 3.10.2018 (पूर्वाह्न) को कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप-धारा (2) तथा (4) के अंतर्गत, मंत्रालय ने दिनांक 13 नवम्बर, 2018 की अधिसूचना सा.का.नि संख्या 1111(अ) के जरिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियमावली, 2018 अधिसूचित की थी।